न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 89/2023 (2023/201)

1. राधा पति हुकमा जाति धाकड निवासी ग्राम नारिरदा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
2. किशन पुत्र हुकमा जाति धाकड
3. गोकल पुत्र हुकमा जाति धाकड
4. ललित पुत्र हुकमा जाति धाकड
5. श्रीपाल पुत्र हुकमा जाति धाकड
6. दुर्गा पुत्र देव्या जाति धाकड
7. नन्दू पति देव्या जाति धाकड
8. मूलचन्द पुत्र देव्या जाति धाकड
9. लादू पुत्र देव्या जाति धाकड

निवासीगण ग्राम बनेडियाखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान ---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर --अप्रार्थी

उपस्थित :-

1. श्री शिवप्रसाद पाराशर – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैराकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी – अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

दिनांक 20/06/23

पत्रावली पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम/करबा कणोज तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
451–459	2366/1384	0.72	बारानी 2
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.72 हैक्टर	
86–587	2367/1384	1.62	बारानी 2
	कुल किता 1	कुल रकबा 1.62 हैक्टर	
227–238	2368/1328	0.68	बारानी 2
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.68 हैक्टर	
451–459	2321/1338 2323/1338	0.68 0.36	बारानी 2 बारानी 2
	कुल किता 2	कुल रकबा 1.04 हैक्टर	

प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जे काश्त आधिपत्य की आराजीयात है जिस पर अन्य किसी व्यक्ति का हक अधिकार हिस्सा नही है। प्रार्थीगण द्वारा कई मरतबा निवेदन करने पर आराजीयात का सीमाज्ञान नही हुआ तब प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान हेतु श्रीमान तहसीलदार केकड़ी के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर आज दिनांक तक कोई संतोषप्रद कार्यवाही नही हुई जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार को सुना गया। पैरोकार सरकार ने अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात खातेदारी में दर्ज है, अतः प्रकरण में राजहित प्रभावित नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार काश्तकार को स्वयं की आराजीयात की पत्थरगढी करवाने का हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम/करबा कणोज तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया–पुराना 451–459 में दर्ज खसरा नम्बर 2366/1384, 2321/1338, 2323/1338, खाता संख्या 86–587 में दर्ज खसरा नम्बर 2367/1384, खाता संख्या 227–238 में दर्ज खसरा नम्बर 2368/1328, की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)